राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ,जयपुर

निर्णय

औम प्रकाश उर्फ बाबा बनाम राजस्थान राज्य

एकलपीठ दाण्डिक अपील संख्या- 640/2001
विरूद्ध विशिष्ट प्रकरण संख्या-157/99 में विद्वान
विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट
सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक: 19.7.2001

--

निर्णय दिनांक : 21.08.2006

: उपस्थित :

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल</u>

श्री बीरी सिंह अधिवक्ता,
श्री एम पी खण्डेलवाल, अधिवक्ता अभियुक्त-अपीलार्थी
श्री एम एल गोयल, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

--

अभियुक्त- अपीलार्थी औम प्रकाश उर्फ बाबा को विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.एक्ट) सीकर ने निर्णय दिनांक 19.7.2001 द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 8/18 एवं 8/20 (बी)(ii) एवं 8/20 (बी) (i) एन डी पी एस एक्ट के अपराध का दोषी पाते हुए धारा

8/18 एवं 8/20 (बी)(ii) एन डी पी एस एक्ट के अन्तर्गत प्रत्येक अपराध के लिए 10-10 वर्ष के कठोर करावास व एक-एक लाख रूपये जुर्माना एवं अदम अदायगी जुर्माना दो-दो वर्ष के कठोर कारावास तथा धारा 8/20 (बी) (i) एन डी पी एस एक्ट के अपराध के लिए पांच वर्ष के कठोर करावास एवं 25 हजार रूपये का जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना एक वर्ष के कठोर करावास की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश दिया है, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अभियोजन कहानी के अनुसार पी.डब्लू.11 श्री रामचन्द्र सी.आई. एवं एस एच ओ कोतवाली फतेहपुर ने अन्य पुलिस कर्मियों व आर ए सी के अतिरिक्त जाप्ता को लेकर एफ.आई.आर. संख्या 149/99 में पंकज उर्फ धनिया को गिरफ्तार करने हेतु दिनांक 11.9.99 को प्रात: 6.50 बजे पण्डा मौहल्ला, फतेहपुर पहुंचकर दबिश दी लेकिन पंकज उर्फ धनिया नहीं मिला तथा मकान पर मकान मालिक अपीलार्थी औम प्रकाश उर्फ बाबा मिला, जिसने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया लेकिन उसे रोक लिया गया तथा पंकज उर्फ धनिया को ढूंढने के लिए मकान में घुसकर तलाशी ली तो मकान में बने हुए नये कमरे के अन्दर सोढियो (गद्दे) के नीचे बैग व सामान तराजू, बांट आदि रखे हुए मिले, जिनको चैक करने पर चरस, अफीम व गांजा होना पाया। जिस पर एन डी पी एस एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही कते हुए फर्द इत्तिला तैयार कर कांस्टेबल देवेन्द्र सिंह के माध्यम से एस पी, सीकर को भिजवायी गयी तथा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान को तलब किया जिनकी उपस्थिति में उनकी सहमति लेकर अभियुक्त औम

प्रकाश उर्फ बाबा को धारा 50 एन डी पी एस एक्ट के प्रावधानों से अवगत कराते हुए उसके द्वारा सहमति देने पर थानाधिकारी राम चन्द्र द्वारा मकान की तलाशी ली गयी। उक्त तलाशी में सोढियो(गद्दे) के नीचे से 26 प्लास्टिक के बंद पैकेट मिले, जिनको खोलकर सूंघा तो उक्त पैकिटो में से 23 पैकिट में दो-दो बट्टिया चरस व तीन पैकिट में एक-एक बट्टी चरस की होना पायी तथा हरे रंग की प्लास्टिक की थैली में चरस के लड्डू व चरस का कचरा रखा हुआ था। उक्त बरामद चरस का तोल करने पर चरस की बट्टियों का वजन 23 किलो 500 ग्राम निकला, जिसमें से 100 ग्राम चरस को सेम्पल के रूप में अलग से निकालकर सील मोहर किया गया। तीन बट्टियों का वजन 3 किलो. निकला, जिसमें से 50 ग्राम चरस को सेम्पल के रूप में निकालकर अलग से सील मोहर किया तथा खुले चरस व चरस के लड्डूओं का वजन 4 किलो. 500 ग्राम निकला, जिसमें 50 ग्राम को सेम्पल के रूप में निकालकर अलग से सील मोहर किया तथा शेष चरस को पृथक-पृथक सील मोहर किया गया। उक्त चरस के अतिरिक्त एक प्लास्टिक की थैली में काला रंग का गाड़ा पदार्थ मिला, जो अफीम था, जिसको तोलने पर मोमजामें की थैली सहित उसका वजन 2 किलो 900 ग्राम निकला, जिसमें से 50 ग्राम अफीम को सेम्पल हेतु निकालकर अलग से सील मोहर किया इसी स्थान पर एक लाल गाडा पदार्थ जूट के थेले में मिला, जिसमें 7 किलो 600 ग्राम गांजा था, जिसमें से 50 ग्राम गांजा सेम्पल हेतु निकालकर अलग से सील मोहर किया गया।

अभियुक्त औम प्रकाश उर्फ बाबा को अपने कब्जे में चरस, अफीम व गांजा रखने के संदर्भ में लाइसेंस या स्वीकृति के सम्बन्ध में पूछा गया तो उसने अपने पास कोई लाइसेंस या

अनुमति पत्र होना नहीं बताया । मौके से ही तौलने की तराजू, चरस की बट्टी काटने का सरौता इत्यादि जप्त किये गये तथा अभियुक्त औम प्रकाश उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया गया तथा जप्त शुदा समस्त माल को थाने के मालखाने में जमा कराया तथा अभियुक्त- औमप्रकाश उर्फ बाबा के विरूद्ध चार्ज शीट प्रस्तुत की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/18 व 8/20 एन डी पी एस एक्ट के अपराध के संदर्भ में आरोप विरचित करके सुनाये गये। उसके द्वारा आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही गयी।

अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 14 साक्षीगण की साक्ष्य करवायी गयी तथा अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 जाप्ता फौजदारी में लेखबद्ध किये गये, जिसमें उसने अपराध से इन्कार किया तथा जिस मकान से अफीम, चरस व गांजा बरामद हुआ है, उसका स्वामित्व स्वयं का होने से भी इन्कार किया। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा साक्ष्य में दो साक्षीगण के बयान करवाये।

उभय पक्षों को सुनने के बाद विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त- अपीलार्थी औम प्रकाश उर्फ बाबा को उपरोक्त प्रकार से दण्डित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत हुई है।

हमने उभय पक्षों की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य व सुसंगत सामग्री का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त- अपीलार्थी की ओर से प्रमुख रूप से यही तर्क दिया गया है कि विवादित मकान जहां से चरस, अफीम व गांजा बरामद होना बताया गया है, से अपीलार्थी का कोई सम्बन्ध नहीं है। अभियोजन पक्ष के साक्षी पी.डब्लू.3 महावीर की साक्ष्य से ही स्पष्ट है कि उक्त मकान बियाणियों की हवेली के नाम से जाना जाता है, जिसमें दुर्गा बहन जी निवास करती है। लेकिन पुलिस ने अपीलार्थी को झूंठा फंसाने के उद्धेश्य से उसे अपने घर से सोते हुए को उठाकर इस मामले में गिरफ्तार किया है। अधिवक्ता अभियुक्त-अपीलार्थी ने इसी क्रम में यह भी तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी से यह सिद्ध नहीं कराया है कि तथाकथित मकान अपीलार्थी के आधिपत्य अथवा स्वामित्व का था। टेलीफोन, पानी व बिजली के जो बिल अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं उनसे भी यह सिद्ध नहीं हुआ है कि उक्त बिल उसी मकान से सम्बद्ध रखते हैं, जहां से तथाकथित बरामदगियाँ हुई है। जबकि प्रतिरक्षा अभियोजन साक्षी डी.डब्लू.1 मक्खन लाल अग्रवाल व डी.डब्लू.2 रतन लाल की साक्ष्य से यह सिद्ध हो रहा है कि तथाकथित मकान बियाणियों की हवेली है, जिसे दुर्गा बहन जी सम्भालती है। अपने तर्क के समर्थन में विनिर्णय **मोहम्मद आलम खान बनाम नारकोटिक्स ब्यूरो ए आई आर 1996 एस सी पेज-3033** तथा विनिर्णिय **बंशी लाल बनाम राजस्थान राज्य 2000 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज-2579** को उदद्दत किया है।

हमारे मत से यह सुस्पष्ट विधि की स्थिति है कि जिस परिसर से स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ बरामद हुए हैं उस परिसर के संदर्भ में यह सिद्ध करने का दायित्व

अभियोजन पक्ष पर है कि ऐसा परिसर का स्वामित्व अथवा वास्तविक कब्जा या बरामद की गयी आपत्ति जनक सामग्री उसके स्वामित्व अथवा कब्जे में रही थी।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी विनिर्णय **मोहम्मद आलम खान बनाम नारकोटिक्स ब्यूरो ए आई आर 1996 एस सी पेज-3033** में अभियुक्त की दोषमुक्ति को इस आधार पर उचित ठहराया है कि कि जिस परिसर से आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई है उसके सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि उक्त परिसर का स्वामित्व एवं कब्जा अभियुक्त का था। विनिर्णिय **बंशी लाल बनाम राजस्थान राज्य 2000 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज-2579 में भी यही मत व्यक्त किया गया है कि जहां यह सिद्ध नहीं हुआ है जिस मकान से** आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई है उस पर अभियुक्त का एकल कब्जा था तो अभियुक्त दोषमुक्ति का पात्र है।

इस मामले में प्रमुख रूप से अपीलार्थी का यही मामला रहा है कि पी.डब्लू.3 महावीर स्वतंत्र साक्षी है, जिसने विवादित मकान से अपीलार्थी का स्वामित्व अथवा कब्जा होने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है लेकिन इस साक्षी की साक्ष्य का परीक्षण नक्शा मौका प्रदर्श पी.4 की रोशनी में करने पर दूसरा ही चित्र दिग्दर्शित हो रहा है। नक्शा मौका प्रदर्श पी.4 के अनुसार विवादित मकान जहां से भारी मात्रा में चरस, अफीम व गांजा बरामद हुआ है , व अपीलार्थी औम प्रकाश उर्फ बाबा के स्वामित्व व कब्जे का होना बताया गया है,के पश्चिम में रास्ता आम एवं

उसके पश्चिम में श्याम सुन्दर हरितवाल का मकान है तथा उसके उत्तर में अपीलार्थी-अभियुक्त औम प्रकाश उर्फ बाबा का ही अन्य नोहरा बताया गया है।

इस संदर्भ में पी.डब्लू.3 महावीर प्रसाद ने भी अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि औम प्रकाश उर्फ बाबा के सामने जो रास्ता है, वह पश्चिम में है, उसके पश्चिम में श्याम सुन्दर हरितवाल का मकान है तथा उसके उत्तर में बाबा का नोहरा है। इस तरह पी.डब्लू.3 महावीर प्रसाद के द्वारा अपीलार्थी औम प्रकाश उर्फ बाबा के मकान का जो विवरण दिया गया है, वह प्रदर्श पी.4 नक्शा मौका में बताये गये विवादित मकान के विवरण से मेल खाता है, जहां से अवैध चरस, अफीम व गांजा बरामद हुआ है। इस तथ्यात्मक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पी.डब्लू.3 महावीर प्रसाद के द्वारा प्रतिरक्षा में किया गया यह कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि विवादित मकान तथा उसके पीछे वाला नोहरा व खण्डहर का स्वामित्व अथवा आधिपत्य अभियुक्त औम प्रकाश उर्फ बाबा का नहीं था।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस मामले में पी.डब्लू.1 दिलीप सिंह, पी.डब्लू.4 मामराज, पी.डब्लू.5 सुरेन्द्र सिंह, पी.डब्लू.8 त्रिभुवन सिंह व पी.डब्लू.11 राम चन्द्र की भी अखण्डित साक्ष्य रही है कि विवादित मकान में अपीलार्थी औम प्रकाश उर्फ बाबा ही मिला था, जिसकी उपस्थिति में तलाशी लेने पर भारी मात्रा में चरस, अफीम व गांजा बरामद हुई थी। अपीलार्थी औम प्रकाश उर्फ बाबा का यह मामला भी नहीं है कि पुलिस अधिकारीगण जो मौके पर

तलाशी के समय मौजूद थे, की अपीलार्थी-अभियुक्त से कोई रंजिश थी अथवा उसे अकारण झूंठा लिप्त करने के इच्छुक रहे थे। अभियोजन पक्ष द्वारा विवादित परिसर अभियुक्त-अपीलार्थी औम प्रकाश उर्फ बाबा के स्वामित्व व कब्जे का होने के संदर्भ में दूर संचार विभाग द्वारा जारी टेलीफोन बिल्स की प्रतिया प्रदर्श पी.1, पी.5, पी.6 , पी.7 तथा पत्र प्रदर्श पी.8 प्रस्तुत कर सिद्ध कराये हैं। अन्वेषण अधिकारी पी.डब्लू.8 त्रिभुवन सिंह ने यह भी सिद्ध किया है कि जिस मकान से चरस, अफीम व गांजा बरामद हुआ है, उस मकान में स्थापित टेलीफोन के बिल प्रदर्श पी.1, पी.5 से प्रदर्श पी.7 दूर संचार विभाग से उन्होंने प्राप्त किये थे। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त बिल टेलीफोन नं. 20591 के हैं, जो अपीलार्थी औम प्रकाश उर्फ बाबा के नाम था। यदि वास्तव में अपीलार्थी औम प्रकाश उर्फ बाबा के नाम उक्त टेलीफोन नं. 20591 विवादित परिसर में न लगा होकर अन्य किसी मकान में स्थापित होता तो अपीलार्थी इस सम्बन्ध में निश्चित प्रकृति की साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता था लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गयी इस महत्वपूर्ण साक्ष्य को खण्डित करने के लिए अपीलार्थी की ओर से कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। उपरोक्त मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य की रोशनी में प्रतिरक्षा में प्रस्तुत किये गये साक्षीगण डी.डब्लू.1 मक्खन लाल व डी.डब्लू.2 रतन लाल के द्वारा सरसरी रूप से किये कथनों को इस संदर्भ में विश्वनीय नहीं ठहराया जा सकता कि विवादित मकान अपीलार्थी औम प्रकाश उर्फ बाबा के आधिपत्य का नहीं था।

इस प्रक्रम पर धारा 54 एन डी पी एस एक्ट के प्रावधानों पर भी दृष्टिपात करना

उपयुक्त होगा जिसमें यह उपधारणा लिये जाने का प्रावधान है कि, ऐसा व्यक्ति जिसके कब्जे से स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ बरामद हुआ है, वह उस सामान के संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाये तो यह माना जाना चाहिए कि उस माल के संदर्भ में उसने अधिनियम में बताया गया अपराध कारित किया है। इस मामले में अभियोजन साक्ष्य से यह सिद्ध हुआ है कि अपीलार्थी औम प्रकाश उर्फ बाबा अकेला ही विवादित परिसर में मिला है, जहां से भारी मात्रा में अवैध आपत्तिजनक स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ की बरामदगी हुई है। अभियोजन साक्ष्य से भी यह सिद्ध हुआ है कि पुलिस को देखकर अपीलार्थी औम प्रकाश उर्फ बाबा ने भागने का प्रयास किया, इन परिस्थितियों में धारा 54 एन डी पी एस एक्ट के प्रावधानों की उपधारणा अभियुक्त के विरूद्ध लिये जाने का उचित आधार रहा है। उपरोक्त विवेचन से हमारे मत से अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि जिस मकान से भारी मात्रा में चरस, अफीम व गांजा अभियुक्त-अपीलार्थी औम प्रकाश उर्फ बाबा की मौजूदगी में बरामद हुई है, उससे अपीलार्थी का सम्बद्ध था तथा वह मकान उसी के कब्जे में रहा था।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि जप्त किये गये पदार्थ चरस, अफीम व गांजा में से जितनी-जितनी मात्रा सेम्पल के रूप में निकाले गये थे, उससे अधिक मात्रा में सेम्पल फोरेंसिक साइंस लेबोट्री को प्राप्त हुए हैं, जो एफ.एस. एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी.11 से स्पष्ट है। इससे यही निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि जप्त किये गये सेम्पल के साथ छेड़छाड़ हुई है तथा उन्हें निश्चित रूप से सुरक्षित नहीं रखा गया। अपने इस तर्क के समर्थन में **रियाज मोहम्मद बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 2001(1) आर सी**

सी पेज-326 उदहृत किया है, जिसमें यही मत व्यक्त किया है यह सिद्ध करने का अभियोजन का दायित्व है कि माल जिस हालत में सील किया गया था, उसी हालत में एफ एस एल तक पहुंचाया है जबकि किसी प्रकार की उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है।

विद्वान लोक अभियोजक का इस संदर्भ में यही तर्क रहा है कि जप्त किये गये माल व उनमें से पृथक किये गये सेम्पलों को मौके पर ही पृथक-पृथक सील करने के तथ्य को सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण सिद्ध कर रहे हैं। जप्त किये गये माल व सेम्पल के पैकिट पी.डब्लू.11 थानाधिकारी राम चन्द्र द्वारा थाना में आकर पी.डब्लू.5 हैण्ड कांस्टेबल महावीर प्रसाद को सुपुर्द किये, जिन्होंने उक्त माल को सुरक्षित रखने व सील्ड हालत में किशन लाल कांस्टेबल के माध्यम से एफ एस एल जमा कराना सिद्ध किया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि मौके पर पैकिट मार्क ए जप्त किये गये मूल चरस में से 100 ग्राम चरस सेम्पल के रूप में सील मोहर की गयी, जो उसका सीघा वजन था तथा एफ एस एल में मय पौलीथिन पैक 100.55 ग्राम वजन निकला इससे स्पष्ट है कि वजन में कोई अन्तर नहीं था केवल एफ एस एल रिपोर्ट में पौलीथिन के वजन को भी सम्मिलित कर लिया गया था। ऐसी ही स्थिति अन्य सेम्पलों के सम्बन्ध में भी थी।

जहां तक जप्त किये गये माल को एफ एस एल में भेजे जाने तक जप्त किये गये माल व सेम्पल के पैकिटो का सील्ड हालत में सुरक्षित रहने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में

पी.डब्लू.11 राम चन्द्र एस एच ओ के द्वारा यह स्पष्ट कथन किया गया है कि मौके पर उनके द्वारा जप्त किये गये माल व सेम्पलो के पैकिटो को सील किया गया था तथा थाने पर आने के बाद हैड मोहर्रिर को माल खाने में जमा करा दिया गया था। पी.डब्लू.5 हैड मोहर्रिर महावीर प्रसाद ने इस तथ्य को पूरी तरह सिद्ध किया है तथा यह कथन किया है कि उसके पास सील मोहर सील्ड शुदा हालत में एस एच ओ ने 10 पैकिट माल व एक सील्ड शुदा तराजू , बाट इत्यादि जमा कराये थे, जिनमें से पांच सील्ड शुदा सेम्पल के पैकिट दिनांक 21.9.99 को कांस्टेबल किशन लाल को राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला,जयपुर में जमा करवाने भेजा गया था। पी.डब्लू.6 किशन लाल ने यह सिद्ध किया है कि उसे पांच पैकिट सीलबंद हालत में एफ एस एल में जमा कराने हेतु मालखाना इंचार्ज ने दिये थे, उनको उसी हालत में उसी दिन जमा करवाके रसीद प्रदर्श पी.3 प्राप्त कर ली थी। एफ एस एल रिपोर्ट प्रदर्श पी.11 में भी पांच पैकिट सील्ड हालत में सफेद कपड़े के कवर में प्राप्त होना अंकित हो रहा है।

जहां तक विभिन्न पैकिटों के वजन में अन्तर होने का प्रश्न है, हमारे मत से इस तर्क में भी कोई सार प्रतीत नहीं हो रहा है क्योंकि जहां पुलिस द्वारा जप्त किये गये 23 किलो. चरस पकड़ी में से सेम्पल के रूप में 100 ग्राम चरस निकाल कर सील करना बताया गया है, वहीं एफ एस एल रिपोर्ट में मय पॉलीथिन बैग के 100.55 ग्राम चरस प्राप्त होना अंकित हो रहा है, इससे स्पष्ट है कि बढ़ा हुआ वजन पॉलीथिन बैग का था, जिसके अन्दर चरस रखकर सील की गयी थी। इसी तरह अन्य पैकिटो मार्क बी, सी,डी व ई में जो अन्तर बताया गया है, वह भी जांच

हेतु भेजे गये सेम्पिल पदार्थों को पॉलीथिन बैग सहित तौलने की वजह से अतिरिक्त वजन होना प्रतीत हो रहा है। इस तरह अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से लिये गये इस तर्क में भी कोई सार प्रतीत नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त अन्य कोई तर्क मेरे सामने इस अपील में नहीं उठाये गये।

अत: उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त- अपीलार्थी औम प्रकाश उर्फ बाबा की गयी दोष सिद्धी में कोई विधि विरूद्धता अथवा अनोचित्यता प्रतीत नहीं हो रही है।

फलस्वरूप अपील, अपीलार्थी में कोई सार नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है, जो निरस्त की जाती है।

(न्या0 जितेन्द्र राय गोयल)